न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 108

दायर दिनांक : 21.07.2011

1. मोहम्मद असरफ
2. तुफैल खां
3. फैजू खां
4. कुरशेद
5. सदीक
6. रेशमा
7. कुरेशा
8. कुरशेदा
9. मकसूदा
10. सुकरी

पुत्र/पुत्रीयान गुलाम खां पुत्र लालू खां जाति मुसलमान निवासीयान उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. हासम खां
2. दारी खां
3. मजनू खां
4. मुस्ताक खां

पिसरान रामू खां जाति मुसलमान निवासीयान उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

5. मु. सुलोचना पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर
6. मु. हुकमादेवी पत्नी श्योजीराम जाति जाट निवासी 24 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. किशनाराम
8. ओमप्रकाश
9. महावीर

पिसरान चिमनाराम जाति जाट निवासीयान हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

10. प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक शाखा सूरतगढ़
11. उप—पंजीयक, सूरतगढ़
12. राजस्थान सरकार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

— प्रतिवादीगण

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री अशोक कुमार छाबड़ा व श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषकगण वादीगण
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 4
3. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 5 व 6
4. श्री राजवीर भादू, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 7 से 9
5. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 25.02.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण सं. 1 ता 10 मृतक गुलाम पुत्र लालूखां के वारिसान हैं। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 मृतक रामू पुत्र लालूखां के वारिसान हैं। गुलाम व रामू दोनों सगे भाई थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है, दोनों मृतक लालूखां के वारिस थे। दोनों के नाम से रोही उदयपुर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2042 के संयुक्त खाता सं. 180 के खसरा नं. 44 में 26.00 बीघा, खसरा नं. 75 में 23.17 बीघा, खसरा नं. 77 में 27.00 बीघा, कुल 76.17 बीघा भूमि खातेदारी बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिसमें से खसरा नं. 75 की 24.02 बीघा भूमि जरिये बैयनामा 25.01.64 को गुरदीपसिंह, हरदीपसिंह पि. अजायबसिंह को विक्रय कर दी व कब्जा दे दिया, जिसके पश्चात् रामू व गुलामखां प्रत्येक का 530–530 हिस्सा शेष रहा व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में हिस्साकसी दर्ज की जानी चाहिए थी, जबकि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि गुलामखां की बेचान दर्शाकर गुलामखां के नाम 292 हिस्सा व स्वयं के नाम 768 हिस्सा दर्ज करवा लिया। खसरा नं. 75 की 23.17 बीघा भूमि बैयनामा के आधार पर आगे विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में बेचान होती रही व अब मौका पर प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 का कब्जा चला आ रहा है जो जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 में 3.795 है0 प्रतिवादी सं. 5 सुलोचना व 2.239 है0 प्रतिवादी सं. 6 हुकमादेवी के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के हिस्सा की 530 हिस्सा भूमि शेष थी जिसमें से बैयनामा द्वारा 30.04.2010 को प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 को विक्रय कर दी जिसका इन्तकाल सं. 205 भी दर्ज हो चुका है। प्रतिवादीगण

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

सं. 1 ता 4 के द्वारा उक्त रकबा बेचान करने के पश्चात् 14.02 बीघा भूमि यानि 3.567 है0 शेष रही, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड 6.078 है0 दर्ज कर दी गयी, इसलिए वादीगण ने वाद–पत्र के साथ रोही उदयपुर गोदारान की जमाबन्दी सम्वत् 2052 ता 55, 2048 ता 51, 2044 ता 48, 2042, 2064 ता 67 की सत्यापित प्रति, वारिस प्रमाण–पत्र गुलामखां, मृत्यु प्रमाण–पत्र रामत व गुलामखां, बैयनामा दिनांक 25.01.1964 की नकल संलग्न कर जैरवाद भूमि में से मृतक गुलाम पुत्र लालू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भूमि के हिस्साकसी को दुरूस्त करते हुए 530 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित कर, इसी अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम अंकित भूमि में से भूमि कम कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को वादाधीन भूमि को अन्यत्र रहन, बैय या खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने निवेदन किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा मय एतराज मजीद व प्रतिदावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि जैरवाद 76.17 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण के पिता रमु खां के हिस्सा में 1/2 हिस्सा यानि 768 हिस्सा भूमि आती थी एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का अंकन है। प्रतिवादीगण के पिता कभी भी किसी भी खसरे का रकबा नहीं बेचा था व शुरू से ही उक्त 1/2 हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा था व प्रतिवादीगण भी इतनी ही भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण के पिता अकेले द्वारा 24.02 बीघा (0.05 बीघा गै.मु.कुण्ड) रकबा का बेचान कर दिया गया तो उनके नाम से उतना रकबा 23.17 बीघा यानि 477 हिस्सा रकबा कम करने के बाद जितना रकबा बचता था वह सही दर्ज किया गया है व यही इन्द्राज वर्ष 1964 से चला आ रहा है एवं 292 हिस्सा पर ही वादीगण के पिता व उनके स्वर्गवास उपरान्त वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। जो रकबा प्रतिवादीगण के पिता के नाम से था व उनके स्वर्गवास उपरान्त उतना रकबा मानते हुए ही प्रतिवादीगण की बहिनों ने प्रतिवादीगण के पक्ष में दस्तबरदारियां करवाई हुई हैं। वर्तमान में

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

जितना रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उतना ही रकबा प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चला आ रहा है, इसलिए वाद वादीगण निरस्त किये जाने का निवेदन किया। साथ ही एतराज मजीद में प्रतिवादीगण ने कथन किया कि वादीगण के पिता द्वारा ही किसी व्यक्ति को रमू के स्थान पर खड़ा करके बैयनामा पर अंगूठा लगा दिया होगा, अगर वादीगण के पिता द्वारा सारी 24 बीघा भूमि बेचान करके रकम प्राप्त नहीं की हुई होती तो उन्होंने अपने जीवनकाल में प्रतिवादीगण के पिता रमू से उनके 38.08 बीघा भूमि के कब्जा काश्त में से हिस्सा नहीं लिया व न ही 38.08 बीघा भूमि की काश्त बाबत कभी एतराज उठाया। प्रतिवादीगण ने अपनी 38.08 बीघा में से 12.08 बीघा भूमि का बेचान कर दिया व मौका पर कब्जा खरीददारान को दे दिया। अब प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में 6.578 है0 यानि 26 बीघा रकबा है व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, इसलिए वाद वादीगण झूठे तथ्यों पर आधारित होने व बिना वाद कारण देरीना एवं बिना कब्जा काश्त भूमि के किया हुआ होने से मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिदावा पेश कर जैरवाद रोही उदयपुर गोदारान के खसरा नं. 44 में 6.578 है0, 75 में 6.034 है0 व 77 में 6.831 है0, कुल 19.443 है0 बारानी भूमि में से प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के कब्जा काश्त के 6.578 है0 रकबा में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करने हेतु वादीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने व वादीगण से वाद एवं 212 आर.टी.ए. का खर्चा दस हजार रूपये दिलवाये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 10 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा प्रस्तुत कर, जैरवाद भूमि बैंक के पक्ष में रहन अंकित होने से बैंक के हितों को ध्यान में रखते हुए वाद का उचित निर्णय किये जाने का निवेदन किया। वादीगण ने जरिये अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर जवाबदावा में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि जैरवाद भूमि गुलाम पुत्र लालू व रामू पुत्र लालू के नाम से 77.02 बीघा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिसमें दोनों का बहिस्सा बराबर बनता है। बैयनामा से पूर्णतया साबित है कि दोनों ने संयुक्त रूप से 24.07 बीघा भूमि का बेचान किया है, जो कि 38 वर्ष पुराना दस्तावेज है जिसे आज तक सिविल कोर्ट से निरस्त नहीं करवाया

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

गया है। राजस्व रिकॉर्ड में कर्मचारियों द्वारा हिस्सा कसी गलत दर्ज कर दी गयी जिसका प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। दिनांक 25.01.1964 को बहिस्सा बराबर रकबा बेचान किये जाने के पश्चात् प्रत्येक का 530 हिस्सा शेष था जिसमें से प्रतिवादीगण द्वारा 12.10 बीघा यानि 250 हिस्सा का बेचान करने के पश्चात् प्रतिवादीगण की 280 हिस्सा भूमि शेष रही। उक्त गलत अंकन को दुरूस्त करवाने की बाबत कोई समय सीमा नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा अंकित तथ्यों से मेल नहीं खाते। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत एतराज मजीद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए वादीगण ने कथन किया कि 48 वर्ष पूर्व निष्पादित बैयनामा को प्रतिवादीगण असत्य मान रहे हैं, जिसे किसी अदालत में चुनौती देकर अस्वीकार नहीं करवाया गया है। ऐसी अवस्था में उक्त दस्तावेज पर संशय नहीं किया जा सकता व जो कि स्वयंमेव सिद्ध है। प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में 12.08 बीघा भूमि दिनांक 30.04.2010 को प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 को विक्रय कर दी गई व मौका पर कब्जा दे दिया गया, उक्त विक्रय के पश्चात् 14 बीघा भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के कब्जा काश्त की रही है। प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज फायदा उठाने के लिए तथ्यों को तोड़–मरोड़कर वस्तुस्थिति के खिलाफ जाकर अंकन किया गया है जो स्वीकृति योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण अपने हिस्सा से अधिक भूमि का अनुतोष किसी प्रकार से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। साथ ही प्रतिदावा में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि रोही उदयपुर गोदारान के खसरा नं. 44, 75 व 77 में 76.17 बीघा खातेदारी भूमि रमू, गुलाम पि. लालू के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, अकेले प्रतिवादीगण के पिता की भूमि नहीं थी, यह तथ्य राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2044 ता 2047 के खाता सं. 44 से व सम्वत् 2042 के खाता सं. 180 से भी साबित है। दोनों भाइयों ने रकबा संयुक्त रूप से संयुक्त खाता में दिनांक 25.01.1964 को बेचान किया है जो कि नकल बैयनामा से स्पष्ट है। उक्त बैयनामा के पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा पटवारी हल्का से मिलकर रिकॉर्ड में हैराफेरी कर स्वयं रमू पुत्र लालू के नाम 768 हिस्सा व ओमप्रकाश पुत्र मनीराम के नाम 477 हिस्सा, गुलाम पुत्र लालू के नाम 295 हिस्सा दर्ज करवा दिया, जबकि भूमि दोनों भाइयों ने बहिस्सा बराबर

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

बेचान की थी। हिस्सा कसी में कांट–छांट की गई है जो कि रिकॉर्ड के विपरीत है। प्रतिवादीगण गलत अंकन का नाजायज फायदा उठाने की फिराक में हैं, इसलिए जवाबदावा मय एतराज मजीद व प्रतिदावा अस्वीकार कर वाद वादीगण स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों के प्रति अपनी अनभिज्ञता जाहिर की व निवेदन किया कि प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 जैरवाद भूमि में मात्र सहकाश्तकार हैं, जिनके विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है, किन्तु प्रतिवादीगण अंकन अनुसार अपना खाता विभाजन करवाना चाहते हैं, इसलिए प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 का हिस्सानुसार खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 व 12 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 02.04.2013 को जवाब प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 व 12 बन्द किये गये।

जवाब आने के पश्चात् निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादीगण के पिता गुलाम पुत्र लालखां व प्रतिवादी 1 ता 4 के पिता रमू पुत्र लालू खां के नाम रोही उदयपुर के संयुक्त खाता में ख.नं. 44, 75, 77 में 76.17 बीघा भूमि खातेदारी थी। जिसमें प्रत्येक 1/2 हिस्सा का हकदार था ? (वादीगण)
2. आया रमू व गुलाम द्वारा अपने नाम अंकित ख.नं. 75 की 24.02 बीघा भूमि जरिये बैयनामा 25.01.64 से गुरदीपसिंह आदि को बैय कर दी थी? (वादी)
3. आया उक्त बेचान के बाद प्रत्येक का 530 हिस्सा भूमि पृथक–2 रही। वादीगण मृतक गुलाम के वारिस होने से उक्त भूमि में जरिये घोषणात्मक 530 हिस्सा घोषित कराने के हकदार हैं ? (वादीगण)
4. आया प्रतिवादी 1 ता 4 द्वारा प्रतिवादी 7 ता 9 को 12.00 बीघा भूमि का बेचान किया जा चुका है वा इन्तकाल भी प्रतिवादी 7 ता 9 के नाम दर्ज हो चुका है ? (वादीगण)
5. आया प्रतिवादीगण को चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे ? (वादीगण)

क्रमशः ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

6. आया प्रतिवादी 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 768 हिस्सा भूमि सही दर्ज है ?
(प्रतिवादी 1 ता 4)

7. आया वादीगण को कब्जा काश्त में दखलन्दाजी न करने बाबत पाबन्द किया जावे ?
(प्रतिवादी 1 ता 4)

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् पक्षकारान से साक्ष्य लिये गये। वादीगण ने वादी सं. 1 मोहम्मद असरफ पुत्र गुलामखां, पड़ौसी मोहम्मद अमीन पुत्र मो. हुसैन, रहमतअली पुत्र नूरअहमद निवासीयान उदयपुर के बयान शपथ–पत्र पर प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की ओर से प्रतिवादी सं. 1 हासमखां पुत्र रमूखां, प्रतिवादी सं. 2 दारीखां पुत्र रमूखां, खेत पड़ौसी जगदीश पुत्र हरचन्द, श्यामसुन्दर पुत्र सुरजाराम अकवाम जाट नि. उदयपुर गोदारान के बयान शपथ–पत्र पर प्रस्तुत किये।

साक्ष्य प्राप्ति पश्चात् पत्रावली में पक्षकारान के तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि वाद वादीगण स्वीकार करते हुए रोही उदयपुर गोदारान के संयुक्त खाता के खसरा नं. 44, 75 व 77 में 76.17 बीघा खातेदारी भूमि में से खसरा नं. 75 की 24.02 बीघा भूमि के बेचान के पश्चात् शेष रही भूमि में वादीगण को 530 हिस्सा यानि 26.10 बीघा का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने व शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम उनके हिस्से के अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की। साथ ही वादाधीन भूमि को रहन, बैय, खाता विभाजन होने तक नहीं किये जाने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने अपने जवाबदावा मय एतराज मजीद व प्रतिदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 ने अपने जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराया व वाद में अंकित तथ्यों की जानकारी से इन्कार करते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, प्रतिवादीगण मात्र सहकाश्तकार हैं, इसलिए प्रतिवादीगण का खाता विभाजन

क्रमशः ..... पेज 8 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 ने वाद में अंकित तथ्यों पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए वाद में निर्णय करने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया व तर्कों के परिपेक्ष्य में गहन पठन एवं मनन करने पर तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से पाया गया :–

तनकी नं. 1 – आया वादीगण के पिता गुलाम पुत्र लालखां व प्रतिवादी 1 ता 4 के पिता रमू पुत्र लालू खां के नाम रोही उदयपुर के संयुक्त खाता में ख.नं. 44, 75, 77 में 76.17 बीघा भूमि खातेदारी थी। जिसमें प्रत्येक 1/2 हिस्सा का हकदार था ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने वाद–पत्र की पुष्टि हेतु रोही उदयपुर गोदारान की जमाबन्दी सम्वत् 2052 ता 55, 2048 ता 51, 2044 ता 47, 2042 व 2064 ता 67 एवं इन्तकाल सं. 24, 26, 27 तथा बैयनामा दिनांक 25.01.1964 की नकलें पेश की। साथ ही साक्ष्य में वादी सं. 1 मोहम्मद असरफ पुत्र गुलामखां, पड़ौसी मोहम्मद अमीन पुत्र मो. हुसैन, रहमतअली पुत्र नूरअहमद निवासीयान उदयपुर के शपथ–पत्र पेश किये। उक्त दस्तावेजों से यह पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि मृतक गुलाम व रमू खां पि. लालूखां दोनों सगे भाई थे, जिनके नाम से रोही उदयपुर गोदारान के खसरा नं. 44, 75 व 77 में 76.17 बीघा भूमि खातेदारी बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। इस प्रकार यह साबित होता है कि वादाधीन भूमि में वादीगण के पिता गुलाम का 1/2 हिस्सा था जिसे वे प्राप्त करने व राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि को दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण इस तनकी को सिद्ध करने में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं, इसलिए तनकी नं. 1 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 2 – आया रमू व गुलाम द्वारा अपने नाम अंकित ख.नं. 75 की 24.02 बीघा भूमि जरिये बैयनामा 25.01.64 से गुरदीपसिंह आदि को बैय कर दी थी ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण द्वारा

क्रमशः ..... पेज 9 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

प्रस्तुत नकल बैयनामा दिनांक 25.01.1964 रमू–गुलाम पि. लालू बहक गुरदीप, हरदीप पिसरान अजायबसिंह, जो सब रजिस्ट्रार सूरतगढ़ से पंजीबद्ध है, जिसके मुताबिक बेचान की गयी भूमि मृतक गुलाम व रमू खां पि. लालू के द्वारा बहिस्सा बराबर बेचान की गयी थी। उक्त दस्तावेज एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। 56 वर्ष पूर्व के पंजीकृत दस्तावेज पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार 30 वर्ष पुराने दस्तावेज को संदेह से परे माना जावेगा। वादीगण ने इस तनकी को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है, इसलिए तनकी नं. 2 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 3 – आया उक्त बेचान के बाद प्रत्येक का 530 हिस्सा भूमि पृथक–2 रही। वादीगण मृतक गुलाम के वारिस होने से उक्त भूमि में जरिये घोषणात्मक 530 हिस्सा घोषित कराने के हकदार हैं ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण ने वाद के साथ प्रस्तुत रोही उदयपुर गोदारान की जमाबन्दी सम्वत् 2042, 2044 ता 47 से यह साबित किया है कि मृतक गुलाम व रमू खां पि. लालू की संतान थे जिनका बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा दर्ज है। दिनांक 25.01.1964 को किये गये बेचान में भी गुलाम व रमू द्वारा खसरा नं. 75 की 24.02 बीघा भूमि का बेचान गुरदीपसिंह वगैरह को किया गया। बेचान के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में जो अंकन किया गया है, वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2048 ता 51 के खाता सं. 45 में कॉलम सं. 4 में किये गये अंकन को देखने से पूर्णतया स्पष्ट दिखाई देता है कि हिस्सा कसी में कांट–छांट की गयी है। यह किसी कर्मचारी की शरारत हो सकती है या भूलवश भी हो सकती है, परन्तु बैयनामा को देखने के पश्चात् यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि उक्त 24.02 बीघा भूमि का बेचान दोनों भाइयों द्वारा किया गया था, जब तक अन्यथा साबित ना हो, यह बेचान संयुक्त ही माना जावेगा। बैयनामा के पश्चात् शेष भूमि मृतक रमू व गुलाम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिए थी। वादीगण मृतक गुलाम के वारिसान हैं, इसलिए जरिये घोषणात्मक वाद–पत्र

क्रमशः ..... पेज 10 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

अपने नाम से 530 हिस्सा दर्ज करवाने के काननून हकदार हैं। वादीगण इस तनकी को सिद्ध करने में पूर्णतया सफल रहे हैं, इसलिए तनकी नं. 3 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 4 – आया प्रतिवादी 1 ता 4 द्वारा प्रतिवादी 7 ता 9 को 12.00 बीघा भूमि का बेचान किया जा चुका है वा इन्तकाल भी प्रतिवादी 7 ता 9 के नाम दर्ज हो चुका है ?

(वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए रोही उदयपुर गोदारान की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 खाता सं. 60/49 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें दर्ज इन्तकाल सं. 205/30.04.2010 से साबित है कि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 हासमखां वगैरह प्रतिवादीगण सं. 7 ता 9 किसनाराम वगैरह को 3.137 है0 यानि 12.08 बीघा भूमि का बेचान किया गया है। इसके अलावा स्वयं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाबदावा में एतराज मजीद के पैरा घ में स्वयं स्वीकार किया है कि 12.08 बीघा भूमि का बेचान प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 द्वारा किया गया है और मौका पर कब्जा भी दे दिया गया है, इसलिए तनकी नं. 4 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 5 – आया प्रतिवादीगण को चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे ?

(वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण द्वारा तनकी नं. 1 ता 4 में पूर्णरूप से साबित किया है कि वादाधीन भूमि में मृतक गुलाम का 1/2 हिस्सा था व दिनांक 25.01.1964 को किये गये बैयनामा में भी गुलाम व रमू द्वारा बहिस्सा बराबर का बेचान किया गया है। उक्त बेचान के पश्चात् शेष भूमि में गुलाम व रमू का बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा बनता है जिसके अनुसार गुलाम के हिस्सा में 530 हिस्सा भूमि आती है व उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान का 530 हिस्सा बनता है जिसे वे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। चूंकि उक्त भूमि संयुक्त खाता की है, प्रतिवादीगण पूर्व में भी बेचान कर चुके हैं, अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए वादीगण के हिस्सा पर किसी प्रकार का असर ना पड़े, इसलिए उनके हक

क्रमशः ..... पेज 11 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

सुरक्षित किये जाने जरूरी हैं। प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. को स्वीकार करते हुए दिनांक 22.10.2014 को प्रतिवादीगण को वादाधीन भूमि को हस्तान्तरण नहीं करने व मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जा चुका है तथा इसी अनुसार वादीगण, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तनकी नं. 5 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 6 – आया प्रतिवादी 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 768 हिस्सा भूमि सही दर्ज है ? (प्रतिवादी 1 ता 4)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 पर था। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि बेचान की गयी भूमि रमू के द्वारा नहीं की गयी है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज या आदेश पेश किया है जिससे बैयनामा अवैधानिक सिद्ध होता हो। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज 768 हिस्सा को सही साबित नहीं कर पाये। प्रतिवादीगण इस तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे हैं, इसलिए तनकी नं. 6 विरुद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 7 – आया वादीगण को कब्जा काश्त में दखलन्दाजी न करने बाबत पाबन्द किया जावे ? (प्रतिवादी 1 ता 4)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 पर था। चूंकि तनकी नं. 1 ता 4 बहक वादीगण निर्णय की जा चुकी है व वादीगण ने उक्त तनकीयात में पूर्णरूप से साबित किया है कि प्रतिवादीगण के नाम जो हिस्सा कसी दर्ज की गयी है वह त्रुटिपूर्ण है, जो बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के की गयी है। वादीगण मृतक गुलाम के वारिसान होने से वादाधीन भूमि में गुलाम के हिस्सा में आयी 530 हिस्सा भूमि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिस पर वादीगण के खिलाफ प्रतिवादीगण चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। इस सीमा तक तनकी नं. 7 विरुद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 निर्णय की जाती है।

क्रमशः ..... पेज 12 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपरोक्तानुसार तनकी नं. 1 ता 5 बहक वादीगण एवं तनकी नं. 6 व 7 विरुद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 निर्णित होने से वाद वादीगण पूर्णरूप से सिद्ध होता है, जिसे स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा निरस्त करते हुए रोही उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 के संयुक्त खाता सं. 60/49 के खसरा नं. 44 में 6.578 है0, खसरा नं. 75 में 6.034 है0 व खसरा नं. 77 में 6.831 है0, कुल 19.443 है0 बारानी खातेदारी भूमि में से वादीगण के पिता गुलाम पुत्र लालू जाति राठ को कुल 530 हिस्सा यानि 6.704 है0 बारानी भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। चूंकि गुलाम पुत्र लालू का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए मृतक गुलाम पुत्र लालू के उक्त घोषित 6.704 है0 भूमि का वादीगण को बतौर वारिस खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के फलस्वरूप तहसील (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 हासमखां वगैरह पि. रामूखां कौम राठ के नाम अंकित ब.हि.ब. 6.578 है0 भूमि में से 3.010 है0 भूमि कलमजन करते हुए, वादीगण के नाम ब.हि.ब. 6.704 है0 भूमि एवं हासमखां वगैरह पि. रामूखां कौम राठ सा. देह के नाम ब.हि.ब. 3.568 है0 अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेंगे। किसी पक्षकार की भूमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा। मृतक गुलाम पुत्र लालू की भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में जो दायित्व गुलाम पुत्र लालू द्वारा देय थे, भविष्य में वो समस्त दायित्व वादीगण द्वारा देय होंगे। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के घोषित रकबा में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. मोहम्मद असरफ
2. तुफैल खां
3. फैजू खां
4. कुरशेद
5. सदीक
6. रेशमा
7. कुरेशा
8. कुरशेदा
9. मकसूदा
10. सुकरी

पुत्र/पुत्रीयान गुलाम खां पुत्र लालू खां जाति मुसलमान निवासीयान उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. हासम खां
2. दारी खां
3. मजनू खां
4. मुस्ताक खां

पिसरान रामू खां जाति मुसलमान निवासीयान उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

5. मु. सुलोचना पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर
6. मु. हुकमादेवी पत्नी श्योजीराम जाति जाट निवासी 24 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. किशनाराम
8. ओमप्रकाश
9. महावीर

पिसरान चिमनाराम जाति जाट निवासीयान हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

10. प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक शाखा सूरतगढ़
11. उप–पंजीयक, सूरतगढ़
12. राजस्थान सरकार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

– प्रतिवादीगण

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

वाद अन्तर्गत 88, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 108 वर्ष 2011 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषकगण वादीगण श्री अशोक कुमार छाबड़ा व श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 श्री भगवान दत्त शर्मा, व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 7 से 9 श्री राजवीर भादू एवं पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा निरस्त करते हुए रोही उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 के संयुक्त खाता सं. 60/49 के खसरा नं. 44 में 6.578 है0, खसरा नं. 75 में 6.034 है0 व खसरा नं. 77 में 6.831 है0, कुल 19.443 है0 बारानी खातेदारी भूमि में से वादीगण के पिता गुलाम पुत्र लालू जाति राठ को कुल 530 हिस्सा यानि 6.704 है0 बारानी भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। चूंकि गुलाम पुत्र लालू का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए मृतक गुलाम पुत्र लालू के उक्त घोषित 6.704 है0 भूमि का वादीगण को बतौर वारिस खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के फलस्वरूप तहसील (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 हासमखां वगैरह पि. रामूखां कौम राठ के नाम अंकित ब.हि.ब. 6.578 है0 भूमि में से 3.010 है0 भूमि कलमजन करते हुए, वादीगण के नाम ब.हि.ब. 6.704 है0 भूमि एवं हासमखां वगैरह पि. रामूखां कौम राठ सा. देह के नाम ब.हि.ब. 3.568 है0 अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेंगे। किसी पक्षकार की भूमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा। मृतक गुलाम पुत्र लालू की भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में जो दायित्व गुलाम पुत्र लालू द्वारा देय थे, भविष्य में वो समस्त दायित्व वादीगण द्वारा देय होंगे। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के घोषित रकबा में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **25.02.2020** को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.28 12:23:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: